

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक :- स. 3-5(2)/स्थाना/मंत्रा/अभि/2023/४३६-५० जयपुर, दिनांक : 27.09.2024

संशोधन आदेश

अभियोजन निदेशालय के समसंख्यक आदेश 691-790 दिनांक 23.09.2024 द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत अधिकारियों का पदस्थापन किया गया है। उक्त आदेश में क्रम संख्या 21 पर अंकित श्री कमलेन्द्र सिंह शक्तावत का पदस्थापन हनुमानगढ़ किया गया है।

श्री कमलेन्द्र सिंह शक्तावत, प्रशासनिक अधिकारी के उक्त पदस्थापन आदेश में संशोधन किया जाकर इनका पदस्थापन कार्यालय संयुक्त निदेशक अभियोजन, उदयपुर में संस्थापन अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध किया जाता है।


संबंधित अधिकारी उपरोक्त कर्मचारियों का कार्यमुक्त/कार्यग्रहण अविलम्ब करवाकर पालना सुनिश्चित करें।


(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि) ।
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
3. संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. उप/सहायक निदेशक अभियोजन, मुख्यालय, जयपुर।
5. संबंधित कर्मचारी _____
6. संस्थापन शाखा मंत्रालयिक/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर